

भाग-III

जनपद— बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में बैजनाथ —बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 11 (रवाईखाल) से बुढगााड़ —थकलाड़ —विल्लेख मोटर मार्ग

लम्बाई 06.00 किमी0

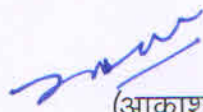
(प्रस्ताव संख्या 47031 / 2020)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:— 16.03.2023।

स्थान:— अल्मोड़ा।


(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - ~~2543~~ / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, ~~16/3~~ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में बैजनाथ -बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी0 11 (रवाईखाल) से बुढगाड़ा -थकलाड़ा -विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/47031/2020।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 3279/12-1-2 दिनांक 27.02.2023

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव जो इस कार्यालय में दिनांक 14.03.2023 को प्राप्त हुआ है, कि तीन प्रतियों में संलग्न कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-प्रस्ताव की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।